हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
2 Aug 2025

दिव्यांग से अनाचार के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं होने के कारण गूंगी लड़की से दुष्कर्म के आरोपी की 20 वर्ष की कैद को 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदला है। घटना के मुताबिक उत्तर बस्तर कांकेर जिला अन्तर्ग निवासी 17 वर्षीय गूंगी लड़की 23 नवंबर 2018 को घर में नहीं थी। उसकी मौसी तलाश करते हुए मोहल्ले में आवाज दी। गांव के महेंद्र जैन के घर से चूड़ियों की आवाज आने पर उसने वहां जाकर आवाज दी गई तो युवती बदहवास सी निकली। गूंगी होने के कारण इशारों में घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मौसी ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मेडिकल जांच व साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आरोपी को धारा 342 में एक वर्ष एवं 376 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कैद व 5000 रु अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील पेश की। जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में सुनवाई हुई।